न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2885-दो/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.12.2014 पारित द्वारा तहसीलदार तह0 लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 4723/बी-121/2010-11

----

1. माया बाई बेवा देवी प्रसाद यादव
   निवासी ग्राम मुड़वा तह0 लवकुशनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. हल्के धोबी पुत्र द्वारका धोबी
   निवासी ग्राम कटहरा तह0 लवकुशनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. मनसुबा पुत्र लोटन चमार
   निवासी ग्राम मुड़वा तह0 लवकुशनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. ईश्वरी प्रसाद पुत्र रज्जू ब्रा.
   निवासी ग्राम मुड़वा तह0 लवकुशनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. धाकड़

आदेश
(आज दिनांक 07/03/2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तह0 लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण

क्रमांक 4723/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार बछौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.96 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2014 द्वारा आवेदकगण के उपस्थित न होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तहसीलदार के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकों के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण साक्ष्य के लिए नियत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं है। आवेदक को चाहिए था कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते, परंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए इस न्यायालय के समक्ष निगरानी की गई है, जो यह दर्शाता है कि वे प्रकरण को येनकेन लंबित रखना चाहते हैं।

दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर